छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(दिसम्बर, 2026 सत्र)

(दिनांक 14 दिसम्बर, 2026 से 17 दिसम्बर, 2026 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
	वर्ग – 1		
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री		
खनिज साधन	"		
ऊर्जा	"		
जनसंपर्क	"		
जल संसाधन	"		
विमानन	"		
सुशासन एवं अभिसरण	"		
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	"		
जन शिकायत निवारण	"	सोमवार 14 दिसम्बर, 2026	सोमवार 07 दिसम्बर, 2026
वन एव जलवायु परिवर्तन	वन मंत्री		
परिवहन	"		
सहकारिता	"		
संसदीय कार्य	"		
वाणिज्य एव उद्योग	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री		
वाणिज्यिक कर (आबकारी)	"		
श्रम	"		
राजस्व एव आपदा प्रबंधन	राजस्व मंत्री		
पुनर्वास	"		
उच्च शिक्षा	"		
	वर्ग – 2		
लोक निर्माण	उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण)		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	"		
नगरीय प्रशासन एवं विकास	"		
खेलकूद एवं युवा कल्याण	"		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री		
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री	मंगलवार 15 दिसम्बर, 2026	मंगलवार 08 दिसम्बर, 2026
समाज कल्याण	"		
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री		
ग्रामोद्योग	"		
विधि और विधायी कार्य	"		
	वर्ग – 3		
गृह	उप मुख्यमंत्री (गृह)		
जेल	"		
पचायत एव ग्रामीण विकास	"		
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	"		
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य मंत्री		
चिकित्सा शिक्षा	"	बुधवार 16 दिसम्बर, 2026	बुधवार 09 दिसम्बर, 2026
पिछड़ा वर्ग एव अल्पसंख्यक विकास	"		
कौशल विकास	कौशल विकास मंत्री		
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	"		
अनुसूचित जाति विकास	"		

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
	वर्ग – 4		
आदिम जाति विकास	आदिम जाति विकास मंत्री	गुरूवार 17 दिसम्बर, 2026	शुक्रवार 11 दिसम्बर, 2026
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी	"		
मछली पालन	"		
पशुधन विकास	"		
वित्त	वित्त मंत्री		
वाणिज्यिक कर	"		
आवास एवं पर्यावरण	"		
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन	"		
पर्यटन	पर्यटन मंत्री		
संस्कृति	"		
धार्मिक न्यास एव धर्मस्व	"		

नोट :–

1. विवरण के कालम (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) मे दिये गये वर्ग के संपूर्ण विभागों हेतु लागू होंगे.
2. विभाग से उत्तर प्राप्त होने की निर्धारित तिथि को उत्तर **कार्यालय समय** में ही प्रेषित करना कृपया सुनिश्चित किया जाये, कार्यालय समय के पश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं किये जायेंगे तथा प्रश्नोत्तर–सूची में **"मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ"** टीप के साथ मुद्रित कर दिया जावेगा।
3. ई–उत्तर सबंधित वेब एप्लीकेशन के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर पूर्व में पृथकतः वितरित दिशानिर्देशों के अनुरूप नियत तिथि तक उपलब्ध कराना कृपया सुनिश्चित करें। किसी प्रश्न के सबंध में स्पष्टीकरण/सशोधन/अग्राह्यता/पुनर्विचार अथवा अन्य विभागों को हस्तांतरण अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। इनकी ऑफलाईन प्रति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा ऐसे प्राप्त होने वाले अनुरोध की प्रति व तत्संबंधी संपूर्ण पत्राचार केवल ऑनलाईन ही किया जायेगा।
4. अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 18 (6) के पालन में जिन प्रश्नों के उत्तर के साथ संलग्न **परिशिष्ट दस अथवा दस से अधिक पृष्ठ** के हों, विभाग ऐसे उत्तरों की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति (सी.डी.) भी उत्तर के साथ **(परिशिष्ट की पांच प्रति सहित)** अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना कृपया सुनिश्चित करें।

नवा रायपुर, दिनाक: 12 नवम्बर, 2026

हस्ता./–
दिनेश शर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

पृ.क्र. 13874/वि.स./प्रश्न/2026

नवा रायपुर, दिनांक : 12 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमत्री
2. माननीय उप मुख्यमंत्रीगण
3. समस्त माननीय मंत्रीगण
4. मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एव सचिव, छत्तीसगढ शासन
5. शासन के समस्त विभागों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

दिनेश शर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ विधानसभा